

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2)राज/वाद/12 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 24/08/2022

::आदेश::


इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), जोधपुर के कार्यालय में स्वीकृत च0श्रे0 कर्मचारी के रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता (Functional Requirement) के आधार पर 01 होमगार्ड की संविदा सेवायें नियमित पद पर नियुक्ति होने अथवा दिनांक 28.02.2023 तक, जो भी पहले हो, लिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332200609 दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह०
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि।
2. जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार संबंधित कार्यालय को सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता (Functional Requirement) के आधार पर 01 होमगार्ड की संविदा सेवायें उपलब्ध करवाते हुये संबंधित कार्यालय एवं इस विभाग को अवगत करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), जोधपुर।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण, विभाग।
7. लेखा शाखा, वादकरण।
8. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


24/8/22
(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव